27/2018

हेमाराम | मृत पुखाराम के का.मु. महेन्द्र व अन्य

05.09.2019. वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता सपठित रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल पार्ट द्वितीय पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.11.2017 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की। जिसकी पालना में बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने के पष्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2018 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दो भिन्न –भिन्न तारीखो का, दो भिन्न–भिन्न निर्णय व डिक्री पारित किये। किन्तु अपीलांटगण ने हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त दो भिन्न–भिन्न तारीखो को पारित किये निर्णय व डिक्री के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई। है। जो कि विधि अनुसार Incompetent होकर पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है। विधि अनुसार प्राथमिक निर्णय व डिक्री तथा अंतिम निर्णय व डिक्री की दो अलग–अलग अपील होती है। किन्तु अपीलांटगण ने दोनो निर्णय व डिक्री के विरूद्ध एक ही अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। जो विधि अनुसार पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। अत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांटगण की अपील Incompetent होकर विधि अनुसार पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये– (1) R.R.D 1983 Page 811 Sanwala v/s Ram Gopal

वकील अपीलांट ने उक्त प्रार्थना का प्रत्युत्तर ममें लिखित बहस प्रस्तुत की, साथ ही मौखिक बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 3 की ओर से धारा 151 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र तकनीकी कारणो के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2017 एकपक्षीय पारित की गई थी। जिससे अपीलांट को प्राथमिक निर्णय व डिक्री के बारे में पूर्व में जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष जो राजनीमा प्रस्तुत किया गया है उसके अन्दर अपीलांट की कोई विशिष्ठ संस्वीकृति नहीं थी। इसके अतिरिक्त अन्य लोगो के हस्ताक्षर में भी दूरभि संधि है। उक्त एकपक्षीय निर्णय व डिक्री के आधार पर अंतिम निर्णय व डिक्री जारी की गई। जिसकी जानकारी अपीलांटगण को बाद में होने से हाजा न्यायालय के समक्ष प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दोनो के आधारो को उक्त अपील में समाहित किया जाकर उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति प्राथमिक निर्णय व डिक्री की अपील करता है एवं उसके पश्चात अंतिम निर्णय व डिक्री की अपील अलग–अलग करता है तो अंततोगत्वा दोनो अपीलो को कंसोलिडेट करके की निर्णय पारित किया जाता है। अन्यथा न्याय करने में सरलता व सुगमता नहीं रहती है। उक्त अपील में प्राथमिक डिक्री के तमाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बिन्दु उठाये गये है, जिससे प्रकरण में सारवान कानून बिन्दुओ एवं गुणवागुण पर प्रकरण मजबूत होते हुए भी केवल मात्र तकनीकी कारणो के आधार पर अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। अत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। वकील अपीलांट ने अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये– (1) 2018 (3) CCC 48 (SC) Selvi v/s Gopalakrishnan Nair (D) Thr. Lrs.

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकर करने से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात के संबध मे दिनांक 29.11.2017 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसकी पालना में बंटवाडा प्रस्ताव मंगवाया गया। बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2018 को वादग्रस्त आराजीयात के संबध में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात के संबध में दो अलग–अलग निर्णय व डिक्री पारित की गई है। किन्तु अपीलांटगण ने हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त दो भिन्न–भिन्न तारीखो को पारित किये निर्णय व डिक्री के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई। अब हस्तगत प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या दो भिन्न निर्णयो के विरूद्व प्रस्तुत की गई एक अपील पोषणीय है अथवा नही ? इस संबध में R.R.D 1983 Page 811 Sanwala v/s Ram Gopal में यह प्रतिपादित किया है कि " Single appeal, filed against order of R.A.A. deciding two appeals and passing two separate orders contained in impugned order- Held, appellants, if wanted to challenge both orders should have filed two appeals and one appeal against judgment of two appeals, not maintainable- Appeal, dismissed as incompetent- 1979 RRD 89 & 58 (holding that one revision against two distinct orders, not maintainable), held applicable in matters of appeals also. उक्त न्यायिक दृष्टान्त मे यह स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि दो भिन्न–भिन्न निर्णयो के विरूद्ध की गई एक अपील पोषणीय नहीं होने से चलने योग्य नहीं है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2018 (3) CCC 48 (SC) Selvi v/s Gopalakrishnan Nair (D) Thr. Lrs. मे यह प्रतिपादित किया गया है कि "वे तमाम आधार जो प्राथमिक डिक्री में उठाने चाहिये थे जो किसी ने नहीं उठाये। उन तमाम बिन्दुओ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अन्तिम डिक्री की अपील उठाया जा सकता है।" उक्त न्यायिक दृष्टान्त से हाजा न्यायालय सहमत है कि प्राथमिक डिक्री के बिन्दु जो किसी ने नहीं उठाये, उन तमाम बिन्दुओ का अंतिम डिक्री की अपील में उठाया जा सकता है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त अनुसार प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करते समय न्यायालय द्वारा तामिली संबधी त्रुटि या अन्य कोई तकनीकी त्रुटि के बिन्दु अंतिम निर्णय व डिक्री की अपील में उठाये जा सकते है। किन्तु उक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह कही भी प्रतिपादित किया गया है कि दो भिन्न भिन्न निर्णयो के विरूद्ध एक अपील प्रस्तुत की जा सकती है। जिससे वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर किसी प्रकार से चस्पा नहीं होते है। अपीलांट ने हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात के संबध हाजा न्यायालय के समक्ष दो भिन्न–भिन्न प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अंतिम निर्णय व डिक्री के विरूद्ध एक अपील प्रस्तुत की है। जो पोषणीय न होने से चलने योग्य नहीं है। अत वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता सपठित रेवेन्यू कोट्र मैन्यूअल पार्ट द्वितीय स्वीकार किया जाता है। एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल द्फतर हो।

05/09/19

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली